न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 63/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/214)

1. मामनसिंह पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांचोद, तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर (प्रथम) निर्णय दिनांक 29.08.2022 अपील संख्या 12/13/2022 अनुवानी मामन बनाम राजस्थान सरकार व आदेश न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर निर्णय दिनांक 25.02.2022 जो प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम मामन प्रकरण संख्या 65/2022 अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –24.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 29.08.2022 एवं तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 25.02.2022 द्वारा अपीलान्ट को ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.25 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास, बेदखली एवं 250/– रूपये से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने निर्णय दिनांक 29.08.2022 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.02.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 29.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 25.02.2.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा दिनांक 29.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि पटवारी हल्का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बासनी तहसील मुण्डावर, अलवर ने रिपोर्ट अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, अजरका से सत्यापन करवाकर इस आशय के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 1.25 हैक्टेयर गैर मुमकिन नदी पर सम्वत 2078 में अपीलांट ने रबि फसल में अतिक्रमण कर लिया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण है, अतः कार्यवाही की जावे। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही मिन अपीलांट की कोई तामील हुई। लेकिन विचारण न्यायालय ने एकतरफा में दिनांक 25.02.2022 को खसरा नम्बर 192 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करने व पांच रूपये के पचास गुना पैनल्टी 250 / – रू0 फाईन करने का आदेश दिये तथा साथ ही 3 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश बहाल किये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर मिन अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 12 / 13 / 2022 तहत न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस अपील में स्पष्ट कथन किया गया है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी तहत अदालत ने मिन अपीलांट की अपील दिनांक 29.08.2022 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश पारित किये। मिन अपीलांट ने तहत अदालत में अपील मार्च 2022 में प्रस्तुत की गई थी और उस समय मिन अपीलांट ने अपील में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कब्जा नहीं है, लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया। मिन अपीलांट नें पूर्व में भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया था और उसके पश्चात दिनांक 29.08.2022 को भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि विवादित आराजी पर मिन अपीलांट का कब्जा नहीं है। इसके बावजूद भी तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट माह अप्रेल, 2022 की है और शपथ पत्र हाल ही 29.08.2022 को पुनः प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी से मिन अपीलांट का कोई संबध व सरोकार नहीं है और ना ही कब्जा है। विद्वान तहत न्यायालय ने मिन अपीलांट को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की और अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम काननूी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दिनांक 29.08.2022 व तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोक हित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास / बेदखली / पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का बासनी तहसील मुण्डावर द्वारा ग्राम साचोद की आराजी खसरा नं0 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.25 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी मामन पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी साचोद तहसील मुण्डावर के विरूद्ध दिनांक 03.02.2022 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत मे समक्ष पेश

संभागीय आयुक्त

की गयी। दिनांक 25.02.2022 को अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती आरोपित/बेदखल व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 16.02.2022 को तलब किया गया लेकिन अतिक्रमी अनुपस्थित रहने के कारण पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में बयान पटवारी हल्का का उल्लेख किया गया है। सायल ने प्रकरण अधीन भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया है, अतिक्रमी की पूर्व में भी धारा 91 के तहत कार्यवाही की गयी है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है। जिसने पूर्व में भी पेनल्टी व फसल नीलामी की राशि जमा नहीं कराई गयी है। अतिक्रमी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें, हल्का पटवारी द्वारा पी–14 सम्वत 2078 फसल रबी की प्रमाणित प्रति पेश की है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.08.2022 को शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विवादित आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने से यह पुष्ट हो जाता है कि अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटा लिया जाना दोष मुक्ति हेतु कोई आधार नहीं उत्पन्न नहीं करता है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त गैर मुमकिन नदी भूमि पर संवत 2078 के समय से अतिक्रमण किया था। इससे पूर्व भी गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर